नि० -947-PBR-16

मानवीय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

राजस्व निगरानी क्रमांक :--

प्रस्तुती दिनांक :-- 10/3/2016

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री .... श्री 247 27144
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 10-3-2016
को प्रस्तुत।
188
10-3-2016
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

{1} सुरेन्द्रसिंह पिता श्री लालसिंह,
आयु 46 साल, व्यवसाय-कृषि
{2} राजेन्द्रसिंह पिता मोतेसिंह,
आयु 60 साल, व्यवसाय-कृषि,
निवासीगण-ग्राम जरवाह, तहसील ठीकरी,
जिला बडवानी {म0प्र0} ---- प्रार्थीगण

वि रू द्ध

(1) सुरेन्द्रसिंह पिता अन्तरसिंह मण्डलोई,
निवासी-ए.बी. रोड, ठीकरी, जिला बडवानी
{2} बृजराजसिंह पिता अन्तरसिंह मण्डलोई,
निवासी-ग्राम जरवाह, तहसील ठीकरी,
जिला बडवानी {म0प्र0} ---- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र : धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता के तहत

मानवीय तहसीलदार महोदय कसरावद रा.प्र. क्रमांक 22-अ-12/14-15 पत्र क्रमांक 2047/19-11-2015 के पालन में बनी सीमांकन रिपोर्ट दिनांकित 12/1/2016 के विरूद्ध -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

(सुरेंद्रसिंह / सुरेंद्रसिंह)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 947, –पीबीआर / 16 जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–3–2016	आवेदक के अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक कसरावद की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12–1–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथमतः राजस्व निरीक्षक द्वारा अभी सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया था और तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम सीमांकन आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, और आवेदक को उनके समक्ष सीमांकन के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करना चाहिए थी। द्वितीय तहसीलदार द्वारा विधिवत् ग्राम पंचों की उपस्थिति में पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर सीमांकन कार्यवाही निष्पादित की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	